संख्या : 40/2026/1727/94-1-2026-312(177)/2025

प्रेषक,

अमित गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उ०प्र० लखनऊ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक : 21 अगस्त, 2026**

विषय : वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या-91 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2030 स्टाम्प 03 पंजीकरण, 001-निर्देशन तथा प्रशासन, 05-स्कैनिंग एण्ड इण्डेक्सिंग ऑफ ओल्ड डॉक्यूमेंट के मानक मद 16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1075/नौ-104(मुख्यालय)/2026-27 दिनांक 31.07.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश के उप निबन्धक कार्यालयों में वर्ष 2002 से 2017 के पंजीकृत समस्त अभिलेखों के डिजिटाइजेशन अवशेष कार्य को वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान संख्या-91 के अन्तर्गत राजस्व लेखा 2030, स्टाम्प पंजीकरण, 03 पंजीकरण, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 05-स्कैनिंग एण्ड इण्डेक्सिंग ऑफ ओल्ड डाक्यूमेन्ट में मद संख्या-16 व्यावसायिक तथा सेवाओं के लिए भुगतान में प्रावधानित धनराशि रु० 6000.00 लाख (रुपये साठ करोड़ मात्र) मे से मद संख्या 16 व्यवावसायिक तथा सेवाओं के लिए भुगतान धनराशि रु० 1000.00 लाख (रुपये दस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि रु० में)

क्र०	**मानक मद**	**प्रावधानित धनराशि**	**स्वीकृति प्रदान की जाने वाली धनराशि**	**स्वीकृति के पश्चात अवशेष धनराशि**
1-	05-स्कैनिंग एण्ड इण्डेक्सिंग ऑफ ओल्ड डाक्यूमेन्ट के मानक मद 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं	60,00,00,000	10,00,00,000	50,00,00,000

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान संख्या-91 के अन्तर्गत राजस्व लेखा 2030, स्टाम्प पंजीकरण, 03 पंजीकरण, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 05-स्कैनिंग एण्ड इण्डेक्सिंग ऑफ ओल्ड डाक्यूमेन्ट में मद संख्या-16 व्यवावसायिक तथा सेवाओं के लिए भुगतान के मद हेतु धनराशि रु० 1000.00 लाख (रुपये दस करोड़ मात्र) की निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

i. उपरोक्तानुसार धनराशियों को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाईनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो तो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

ii. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/ दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

iii. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय।

iv. व्यय को प्राधिकृत विनियोग की सीमा के भीतर रखे जाने के सम्बन्ध में बजट मैनुअल में दिए गये निर्देशों एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-12-2011 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के साथ ही राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश मैन्युअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स ऑफ फ़ाइनेन्शिएल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय व तत्काल धनराशि अधीनस्थ कार्यालयों के निवर्तन पर रख कर जारी स्वीकृतियों की एक प्रति शासन को उपलब्ध कराई जाय।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रु० दस करोड़ को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-091 लेखाशीर्षक 20300300105 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के मद में भुगतान के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28-03-2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एव हकदारी) प्रथम उ0प्र0 प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. निदेशक, वित्त संख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुधीर कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in